317

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 1()/अप्रमुवसं/M&E/2015/ 693-725 दिनांक : 4/6/2015

1 श्री. ए.के. उपाध्याय
प्रोजेक्ट डायरेक्टर राज. फोरेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट जयपुर
2 श्री मोहनलाल मीणा
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा), जयपुर
3 श्री समीर कुमार दुबे
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
4 श्री वी एस बोहरा
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर
5 श्री वीरेन्द्र सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) जयपुर
6 श्री राजेश कुमार ग्रोवर
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) जयपुर
7 श्री डी एन पाण्डे
सदस्य सचिव मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जयपुर
8 श्री भरत तैमिनी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी एफ एण्ड सी) राजस्थान, जयपुर
9 श्री वेंकटेश शर्मा
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
10 श्री अरविन्दर सिंह बरार
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–संरक्षण), अरावली भवन, जयपुर
11 श्री राजीव कुमार गोयल
मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर
12 श्री घनश्याम प्रसाद शर्मा
वन संरक्षक (एम एण्ड ई), भरतपुर
13 श्री अजय कुमार गुप्ता
वन संरक्षक (एफ.पी.आर.पी.), जयपुर
14 श्री सी.एस. रत्नासामी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी. ए) राजस्थान जयपुर।
15 श्री इन्द्रराज सिंह
मुख्य वन संरक्षक (फोरेस्ट प्रोटेक्शन), जयपुर
16 श्री पीके उपाध्याय
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा
17 श्री जी.वी. रेड्डी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईको ट्यूरिज्म), जयपुर
18 डॉ0 सुरेशचन्द्र
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) जयपुर
19 श्री ओमप्रकाश सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईजीएस) जयपुर
20 श्री टी.सी. वर्मा
वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन वन भवन, जयपुर
21 श्री राहुल कुमार भटनागर
वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर
22 श्री इन्द्रपाल सिंह

वन संरक्षक (एम एण्ड ई) उदयपुर
23 श्री दीपक भटनागर
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), राज. जयपुर
24 श्री अनिल कुमा गोयल
शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज0, जयपुर
25 श्री के.सी. मीणा
मुख्य वन संरक्षक बीकानेर
26 श्री अजय कुमार सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) राज0 जयपुर
27 श्री मनीराम पूनियां
वन संरक्षक (वन्य जीव)
कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
28 श्री राजीव कुमार त्यागी
अति. प्रधन मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर
29 श्री अरविन्दम तोमर
मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
30 डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज
मुख्य वन संरक्षक (वाईल्ड लाईफ) जोधपुर
31 श्री के.के. गर्ग
मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू एफ पी एस), अरावली भवन, जयपुर
32 श्री अशोक कुमार बी. रामटेक
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
33 श्री दयाराम साहरण
वन संरक्षक (एम एण्ड ई) जोधपुर

विषय :– जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान प्रभावी एवं परिणामदायीं व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :– शासन उप सचिव (वन) राजस्थान सरकार जयपुर का परिपत्र क्रमांक प 12 (1) वन / 2015 जयपुर दिनांक 22.01.2015

महोदय,

शासन उप सचिव (वन) राजस्थान सरकार जयपुर के संदर्भित परिपत्र की फोटो प्रति संलग्न कर लेख है कि परिपत्र का भलीभांति अवलोकन कर उसमें दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना की जावें। साथ ही प्रकरण से संबंधित संलग्न प्रपत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट में एम एस एक्सेल में देवनागरी लिपि (Devlys 10) में पूर्ति कर आपको आवंटित जिले की रिपोर्ट सहित समयानुसार भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके। इस कार्य हेतु cf.ce.forest@rajasthan.gov.in अथवा psshekhawat67@gmail.com e-mail id का उपयोग कर सकते है।

संलग्न :– उक्तानुसार (3 किता)

भवदीय

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मूल्यांकन एवम् प्रबोधन,
राजस्थान, जयपुर
03/6/2015

C:\Users\H.L.MEENA\Desktop\Reminders\jodhpur.docx

(5)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः–प012(1)वन/2015 जयपुर, दिनांकः– 22.1.2015

परिपत्र

निर्देशानुसार जिला प्रभारी अधिकारी निरीक्षण करते समय निम्न तथ्यों की गहराई से जॉच करें तथा प्रभावी एवं परिणामदायी व्यवस्था सुनिश्चित करावें :–

1. भविष्य में निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य प्रभारी को निरीक्षण के 3 दिवस में प्रस्तुत किये जावे तथा राज्य प्रभारी इकजाई रिपोर्ट के साथ 7 दिवस में पत्रावली प्रस्तुत करें।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में सबसे पहले बजट घोषणाओं की पालना, मुख्यमंत्री/मंत्री घोषणाओं एवं स्वराज संकल्प की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे तथा कियान्विति सुनिश्चित की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे विशेष प्रोजेक्टों की समयबद्ध कियान्विति के प्रभावी प्रयास किये जावे।
4. आवंटित राशि का वित वर्ष के अंतिम माहों में व्यय करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर उसके स्थान पर पूरे वित्तीय वर्ष में प्रोग्रेस की नियमित समीक्षा कर विकास कार्यो में बजट का उपयोग किया जावे।
5. वन भूमियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने एवं अतिकमण मुक्त करने के लिए समय समय पर अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही कर वन भूमि को अतिकमण से मुक्त कराया जावे । वन भूमियों पर किये गये अतिकमणों को हटाने हेतु भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों की संख्या काफ़ी कम है। अतिकमणों के मामलों में कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।
6. वन भूमियों के नामान्तरणकरण की कार्यवाही काफी समय से पेण्डिंग है। ऐसे केसेज को शून्य के स्तर पर लोने की कार्य योजना बनाकर समस्त वन भूमियों के नामान्तरणकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे। इस हेतु निरीक्षण के दौरान सभी बकाया प्रकरणों की सूचियां लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा करें तथा वन भूमियों के नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जावे। इस हेतु वन भूमि के नक्शों एवं राजस्व नक्शों की सुपरइन्पोज कर कार्यवाही भी की जावे।
7. वन अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं नियमित कार्यवाही की जावे। विभागीय स्तर पर काफी केसेज पेण्डिंग है, जिसमें नियमित कार्यवाही कर निस्तारण करें तथा कोर्ट केसेज की प्रभावी पैरवी करावें।
8. अवैध खनन–प्रत्येक जिले के अवैघ खनन के अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर प्रत्येक माह अचानक एवं विशेष अभियान संचालित कर अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही की जावे। जिला कलेक्टर से चर्चा कर प्रत्येक महिने में कुछ चिन्हित तारीखों को विशेष अभियान नियमित चलाया जावे। अवैध खनन से विशेष प्रभावित जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर में नियमित एवं अचानक कार्यवाही की जावे। अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध अधिक से अधिक केसेज बनाकर न्यायालय में चालान की कार्यवाही की जावे। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों की जप्ति एवं अधिहरण के लम्बित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जावे। अलवर जिले में अवैध खनन को रोकने हेतु अरावली श्रृंखला के बहार एवं छोटी छोटी छितराई हुई पहाडियों की वन भूमियों के डाईवर्जन के प्रस्ताव तैयार किये जावे ताकि अवैध खनन के स्थान पर वैध खनन हो सके।
9. सार्वजनिक एवं जन उपयोग के बकाया डाईवर्जन केसेज में तत्काल कार्यवाही की जावे एवं प्रकरण राज्य सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भिजवायें।
10. गांवों/ग्राम पंचायतों को गोद देने की कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जावे। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी मासिक बैठक आयोजित कर वृक्षारोपण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे।
11. अवैध खनन की रोकथाम एवं अतिकमण से प्रभावित वन क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु ऐसी वन भूमियों के पिल्लर निर्माण एवं पक्की दीवार निर्माण के कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर कार्यवाही करावें।
12. अवैध आरा मशीनों का अचानक निरीक्षण कर प्रभावी तरीके से कार्यवाही किया जाने की आवश्यकता है।
13. आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु पौध तैयार करने के लिए कार्य का पयवेक्षण भली प्रकार किया जावे ताकि वृक्षारोपण के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाकर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित करावें।
14. आर0एफ0बी0पी0, कैम्पा, स्टेट प्लान, मनरेगा व 20 सूत्री कार्यक्रम में कराये जा रहे कार्यो की लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावे।

APCCF(CMSE) 27/5

15. आवंटित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी तरीके से कार्यवाही कर लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावे।
16. लू–ताप से पौधों के बचाने की सही व्यवस्था की जावे।
17. प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण /वनीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था प्रतिनिधियों से निरीक्षण के दौरान चर्चा कर प्राप्त सारगर्भित सुझावों पर कार्यवाही की जावे।
18. सभी जिला स्तरीय उप वन संरक्षकों को निर्देश जारी किये जावे कि वे जिले के भामाशाहों/सामाजिक संस्थाओं/ट्रस्टों/स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों की सूची तैयार करें, उनसे सम्पर्क व समन्वय स्थापित करें एवं जिला प्रभारी सभी संगठन प्रतिनिधियों के साथ एक चर्चा बैठक आयोजित करें तथा इन्हें वृक्षारोपण जैसे पवित्र कार्य से जोडकर सडक मार्ग/ गांवों/मोहल्ला/वार्ड तथा क्षेत्र गोद देने की कार्यवाही करें। क्षेत्र विशेष के वृक्षारोपण का नामकरण संबंधित भामाशाह के नाम से किया जा सकता है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर वृक्षारोपण कार्य करवाया जावे।
19. निरीक्षण प्रतिवेदन के अन्त में अपने सुझाव, भारत सरकार/ राज्य सरकार के स्तर पर पेण्डिंग प्रकरणों तथा संबधित उप वन संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही/निर्देशों को तीन अलग अलग शीर्षक में बिन्दुवार अंकित करें तथा निरीक्षण उपरान्त पालना सुनिश्चित करावें तथा शेष बिन्दु ध्यानाकर्षण हेतु माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत करे।
20. जिला प्रभारी अधिकारियों से द्विमासिक निरीक्षण उपरान्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विभाग की प्रत्येक योजना एवं कार्यकम को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत एवं सन्तुलित चेकलिस्ट प्रस्तुत करें ताकि चेक लिस्ट में निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।

Sd/-
(चुन्नी लाल सैनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 वन मत्री जी
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
4. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. रक्षित पत्रावली ।

28-5-14
शासन उप सचिव

क्र.स	संभाग का नाम	ज़िला	जिला प्रभारी का नाम	बजट घोषणायें		मुख्यमंत्री घोषणायें		सुराज संकल्प		वन्य जीव योजनायें (बायोस्फेयर रिजर्व इत्यादि)		जायका / आर.एफ.बी.पी. II				कैम्पा कार्यक्रम				स्टेटप्लान. एवं अन्य योजनायें			
												वित्तीय		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय		भौतिक	
				घोषणाओं की संख्या	प्राप्ति	घोषणाओं की संख्या	प्राप्ति	संकल्पों की संख्या	प्राप्ति	योजनाओं की संख्या	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति

(3)

मनरेगा स्वीकृत कार्य एवं प्राप्ति			बीस सूत्री कार्यक्रम				वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद			डायवर्जन कैसेज			वृक्षारोपण व वनीकरण			अवैध खनन				जन सुनवाई की जा रही है अथवा नहीं की गई यदि की गई हो तो संक्षिपत विवरण	सम्पर्क	सुगम पोर्टल	
			51 (a) area covered		51 (b) no. of																		
स्वीकृत कुल कार्य 2014–15	चालू कार्य	पूर्ण कार्य	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	वन मण्डल में कुल वन भूमि	अमल दरामद (है0)	अमल दरामद से अवशेष (है0)	कुल प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल	अवशेष प्रकरण	नाम योजना	लक्ष्य	प्राप्ति	दर्ज	विभाग स्तर पर पैण्डिंग	निस्तारित विभाग स्तर पर	कोर्ट स्तर पर पैंडिंग			दर्ज प्रकरण	निस्तारित

ईको ट्यूरिज्म कोई योजना हो तो विवरण	विभिन्न कार्यक्रमों का मौके पर जायजा	जिले में संचालित अन्य समस्त योजनायें			वन अपराध की अद्यतन सूचना (माह मार्च, 2015 तक)				वन भूमि पर अतिक्रमण जिनके अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में कार्यवाही विचाराधीन			1980 से पूर्व वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण का नियमन			
		योजना	लक्ष्य	प्राप्ति	दर्ज	विभाग के स्तर पर पैण्डिंग	विभाग स्तर पर निस्तारित	कोर्ट स्तर पर पेंडिंग एवं निस्तारित	कुल प्रकरण दर्ज	कुल अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रफल (है0)	वर्तमान स्थिति निस्तारित एवं पेंडिंग	कुल प्रकरण		नियमन	
												कुल प्रकरण	पेंडिंग	कुल प्रकरण	पेंडिंग

5

वन भूमि पर अवैध खनन				लोकायुक्त प्रकरण		अवैध आरामशीन		माह .... 2015 तक की राजस्व प्राप्तियां		गोद ली गई ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम	समस्त जिला स्पेसिफिक योजनायें			वृक्षारोपण एवं वनीकरण में	जिले में भामाशाहों /	निरीक्षण प्रतिवेदन में	द्वि–मासिक निरीक्षण के	वि.वि.
दर्ज	विभाग स्तर पर पैण्डिंग	निस्तारित विभाग स्तर पर	कोर्ट स्तर पर	दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	लक्ष्य	प्राप्ति		नाम योजना	लक्ष्य	प्राप्ति					